FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम ए(SDO) बायतु

हनुमानराम बनाम नरेन्द्र कुमार वगैरह

किस्म मुकदमा 111, 128 [illegible] नं. 204/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.20	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री नरपत सिंह ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29.09.20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 18/11/2020 को पेश हो।	
18/11/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रसकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 08/03/2021 को पेश हों।	

08/03/2021 पत्रावली पेश... पक्षकार उपस्थित
पीठासीन अधि... पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तजार लाकर दिनांक 13/07/2021
को पेश होवे

13/07/2021 पत्रावली पेश... पक्षकार उपस्थित
पीठासीन अधि... पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तजार लाकर दिनांक 14/10/2021
को पेश होवे

14/10/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधि. द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक-08/12/2021 को पेश होवे

08/12/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 13/04/2022 को पेश होवे

13/04/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये, जिनकी डिलेवरी रसीदें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 27/04/2022 को पेश हो।

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 475

दिनांक : 27/04/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हुकमाराम पुत्र दलाराम, जाति जाट, निवासी पोषाल, पटवार मण्डल बोड़वा, तहसील शिव (बाड़मेर)		1. नरेन्द्र कुमार पुत्र हरखाराम वगैरा 04, जाति जाट, निवासी जेतानियों की ढाणी, पटवार मण्डल भाडखा, तहसील शिव (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 204 / 2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा — लुणाड़ा, पटवार मण्डल — लुणाड़ा , तहसील — बायतु, जिला—बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1575 / 1458 रकबा 0.9708 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / — जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
दिनांक : 27/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 476—80

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का लुणाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हुकमाराम पुत्र दलाराम,
4. विप्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र हरखाराम वगैरा 04,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु